विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक/विउशिनिफोदु/2026/285

दुर्ग, दिनांक - 02/09/26

(अध्यक्ष – श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य – श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक – 166
दिनांक – 08/05/2026

प्रति,

श्री प्रवीण गर्ग, पिता श्री ओमप्रकाश गर्ग
बमलेश्वरी गार्डन, दीपक नगर, दुर्ग (छ.ग.)
बी.पी. नं. – **1002101033**

अनावेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग।
2. सहायक अभियंता,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
दुर्ग शहर जोन।

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 31/08/2026 को पारित किया गया

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन में लंबे समय से कम वोल्टेज एवं वोल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन

आवेदक के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय–समय पर आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाने के बावजूद उक्त समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण विद्युत उपकरणों के संचालन में कठिनाई हो रही थी तथा उनके प्रभावित होने की आशंका थी।

आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष उक्त समस्या के तत्काल निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया।

3. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है :–

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 7.4 किलोवाट है।

4. विचारणीय प्रश्न

मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

क्या आवेदक को उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन पर निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्युत वोल्टेज प्राप्त हो रहा है?

5. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर में, उपरोक्त निर्विवाद तथ्यों के अतिरिक्त, संक्षेप में बताया गया है कि आवेदक द्वारा वोल्टेज अप–डाउन की शिकायत किए जाने के संबंध में दिनांक 03.07.2026 को आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 27.06.2026 को बमलेश्वरी गार्डन स्थित 100 के.वी.ए. क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर, जिससे आवेदक के घर की विद्युत आपूर्ति की जा रही है, का डी.ओ. फ्यूज उड़ गया था। इसके कारण उक्त क्षेत्र में वोल्टेज संबंधी समस्या उत्पन्न हुई थी।

अनावेदकगण के अनुसार दिनांक 27.06.2026 को आंधी–तूफान एवं खराब मौसम के कारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में विद्युत आपूर्ति बाधित होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। परिणामस्वरूप डी.ओ. फ्यूज को सुधारने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा।

अनावेदकगण द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में उक्त ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज अप–डाउन अथवा अन्य किसी प्रकार की विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्या नहीं पाई गई।

6. अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त कथन के संबंध में फोरम द्वारा सुनवाई के दौरान निर्देशित किया गया कि आवेदक के घरेलू विद्युत कनेक्शन का पुनः निरीक्षण कर विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के संबंध में आगामी सुनवाई में अवगत कराया जाए।

7. उक्त निर्देश के अनुपालन में अनावेदकगण द्वारा आवेदक के परिसर एवं संबंधित ट्रांसफॉर्मर का दिनांक 22.07.2026 को निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर पर वोल्टेज निर्धारित मानक स्तर के अनुसार पाया गया।

अनावेदकगण द्वारा पुनः बताया गया कि दिनांक 27.06.2026 को बमलेश्वरी गार्डन के 100 के.वी.ए. ट्रांसफॉर्मर का डी.ओ. फ्यूज उड़ जाने के कारण वोल्टेज अप–डाउन की समस्या उत्पन्न हुई थी। उक्त दिन खराब मौसम एवं आंधी–तूफान के कारण लगभग 240 उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बहाल करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा।

अनावेदकगण के अनुसार वर्तमान में उक्त ट्रांसफॉर्मर एवं आवेदक के विद्युत कनेक्शन में वोल्टेज अप–डाउन अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या नहीं पाई गई।

अनावेदकगण द्वारा आसपास के अन्य उपभोक्ताओं से भी पूछताछ की गई तथा उनके द्वारा भी वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य होना बताया गया।

इसके अतिरिक्त, आवेदक के पड़ोसी श्री मुकेश कुमार अग्रवाल के घरेलू विद्युत कनेक्शन में स्थापित मीटर पर भी वोल्टेज की जांच की गई, जो निर्धारित सीमा के अंतर्गत पाया गया।

8. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, कथनों तथा निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन में वोल्टेज अप–डाउन/कम वोल्टेज की शिकायत प्रस्तुत की गई थी। अनावेदकगण द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में आवश्यक तकनीकी कार्यवाही की गई तथा संबंधित वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया।

दिनांक 22.07.2026 को किए गए निरीक्षण में आवेदक के मीटर, वोल्टेज सही पाया गया। संबंधित ट्रांसफॉर्मर पर भी तीनों फेज में वोल्टेज सामान्य पाया गया।

फोरम के समक्ष प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान में आवेदक के कनेक्शन पर वोल्टेज अप–डाउन अथवा कम वोल्टेज संबंधी समस्या विद्यमान नहीं है। आवेदक से पूछताछ किए जाने पर भी समस्या का निराकरण हो जाना बताया गया है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं वर्तमान निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक की शिकायत के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है तथा वर्तमान में आवेदक को उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन पर संतोषजनक विद्युत वोल्टेज प्राप्त हो रहा है।

9. आदेश

1. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक की वोल्टेज संबंधी शिकायत का अनावेदकगण द्वारा आवश्यक तकनीकी कार्यवाही करते हुए निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान निरीक्षण में विद्युत आपूर्ति एवं वोल्टेज निर्धारित सीमा के अनुरूप पाया गया है तथा आवेदक द्वारा भी समस्या का निराकरण हो जाना बताया गया है।

अतः आवेदक की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण को निराकृत किया जाता है।

2. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

3. आदेश पारित

4 .प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग